संख्या–123/XXVIII(1)/2008-180/2005TC-I

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान,
श्रीनगर, पौड़ी गढवाल।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2009

विषयः वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के प्रथम नवीनीकरण हेतु Mortuary/Autopsy Block के निर्माण हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर में प्रथम नवीनीकरण हेतु आवश्यक Mortuary/Autopsy Block के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षण के उपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 109.65 लाख (रूपये एक करोड नौ लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.06.2007 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में शर्त के अनुसार वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर के निर्माण कार्य के लिए दिए गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. कार्य करते समय स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा प्रश्नगत कार्यों की Subcontracting नही की जायेगी।
4. उक्त धनराशि में से 97.5 प्रतिशत की आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 इकाई–2 श्रीनगर पौड़ी गढवाल को उपलब्ध करायी जियेगी शेष 2.5 प्रतिशत धनराशि Default Liability हेतु रखा जायेगा। यह 2.5 प्रतिशत धनराशि लो0नि0विभाग/मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्गित भवनों की जॉच करा Satisfactory Certificate दिये जाने के उपरान्त निर्गत की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।
5. निर्माण इकाई द्वारा शासन को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि उक्त कार्य की स्वीकृति पूर्व में किसी भी योजना में नहीं हुई है, इस योजना का आगणन प्रथम बार गठित किया गया है तथा कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

6. उक्त कार्य हेतु थर्ड पार्टी से गुणवत्ता/प्रगति की जॉच सी0बी0आर0आई0 रूड़की या अन्य किसी प्रतिष्ठित संस्था से करायी जाये। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सेंटेज चार्जेज से वहन किया जायेगा अलग से कोई बजट स्वीकृत नही किया जायेगा। कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जायें।
7. उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0 द्वारा नये आर्किटैक्ट द्वारा भवन को डिजाइन कराया जोयेगा ताकि भवन में कोई कमी दृष्टिगोचर न हो। इसके लिए उक्त धनराशि में से 2 प्रतिशत इस कार्य हेतु आवंटित है। आर्किटैक्ट के सम्बन्ध में निर्माण एजेंसी द्वारा प्राचार्य के माध्यम से शासन से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनरशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युअल तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम स्तर द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियामानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।
10. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाये।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि उल्लिखित कार्य हेतु ही व्यय की जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाए, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाये।
13. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करे।
14. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या दशा में माह 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनरशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णयताः निर्गत किया गया है।
15. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
16. आगणन में कोर्टज आदि की दूरियां तथा ढुलान की दरों को विस्तृत आगणन गठित करते समय अधीक्षण अभियन्ता स्थल आवश्यकतानुसार सभी मदों को पुनः परीक्षण कर प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेगा कि ढुलान आदि तथा एकमुश्त प्राविधानों को शत प्रतिशत जॉच के उपरान्त भुगतान किया गया है तथा उसकी पुष्टि हेतु शासन को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
17. योजना के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।
18. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्यता को ध्यान में रखकर किया जाये।
19. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्साा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा

शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथिक–03–श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना–24–वृहत निर्माण कार्य के अर्न्तगत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जाये।

20. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–761(P)/वित्त अनु0–3/2008 दिनांक 16.03.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड माजरा,देहरादून।
4. सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
8. कोषाधिकारी, पौडी।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीनगर बेस चिकित्सालय, पौडी ।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 लि0 इकाई–2 श्रीनगर, पौडी गढवाल गढवाल।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
13. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।